रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125] दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2015/आश्विन 6, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 107
No. 125] DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2015/ASVINA 6, 1937 [N.C.T.D. No. 107

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व–1) विभाग
अधिसूचनाएं
दिल्ली, 28 सितम्बर, 2015

सं. एफ. 3(11)/वित्त (क. एवं स्थाप.)/2009–10/डीएसVI/822.—दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 अधिनियम के साथ पठित दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप–राज्यपाल, मूल्य स्वंर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों के पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं; अर्थात–

क्रम सं.	अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती/कु.	कार्यभार की तिथि	पदनाम
1	अभिषेक देव	01/09/2015	अतिरिक्त आयुक्त मूल्य संवर्धित कर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप–राज्यपाल
के नाम तथा उनके आदेश पर
ए. के. सिंह, उप–सचिव –VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 28th September, 2015

No. F. 3 (11)/Fin (T&E)/2009-10/DS-VI/822.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with

स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 सितम्बर, 2015

सं. एफ. 32६39६2009/एच एंड एफडब्ल्यू/डीएमसी/2012/सीडी#112181872/जेएस3एचएफडब्ल्यू/630.636.—दिल्ली चिकित्सा अधिनियम, 1997 (1997 का दिल्ली अधिनियम 5) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिनांक 13 मार्च, 2015 की सं. फा. 32/13/2009/स्वा. एवं परि. कल्याण./1985–91 द्वारा जारी स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात–

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 4 के समक्ष **"डॉ. योगेश कुमार सरीन"** शब्दों के लिए **"डॉ. विनय अग्रवाल"** शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

उपरोक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उक्त सदस्य का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से शेष अवधि के लिए होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
प्रेमानन्द प्रुस्ति, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 28th September, 2015

No. F. 32/39/2009/H&FW/DMC/2012/CD#112181872/js3hfw/630-636.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (4) of section 4 of the Delhi Medical Council Act, 1997 (Delhi Act 5 of 1997), the Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following amendment in the notification by the Department of Health & Family Welfare issued vide no. F.32/13/2009/H&FW/1985-91 dated: 13th March, 2015, namely:-

In the said notification, against S. No.4, for the words "Dr. Yogesh Kumar Sarin" the words "Dr. Vinay Aggarwal" shall be substituted.

Subject to provisions of the aforesaid Act, the terms of office of the above members shall be for the remaining period from the date of publication of this Notification.

By Order and in the Name of Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,
PREMANANDA PRUSTY, Jt. Secy.

इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय

अधिसूचना

दिल्ली, 28 सितम्बर, 2015

सं. फा. 16 (18)/पीएलजी/आईजीडीटीयूडब्ल्यू/2014/2662.—इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय (प्रथम) संविधि 2012 की संविधि–15 के साथ पठित इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 (2012 की दिल्ली अधिनियम सं. 9) की धारा 31 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड, एतदद्वारा इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड से संबंधित निम्नलिखित अध्यादेश बनाते हैं, अर्थात–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–**

   (1) इस अध्यादेश को "इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय का पंचम अध्यादेश" कहा जा सकेगा।

   (2) यह अध्यादेश दिल्ली के सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त माना जाएगा।

2. **अध्ययन बोर्ड**: (1) प्रत्येक संकाय का एक अध्ययन बोर्ड (आगे 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित) होगा, जिसमें [illegible] सदस्य शामिल होंगे:

(i) संकाय के डीन / विभागाध्यक्ष / प्रख्यात शिक्षाविद या वैज्ञानिक – अध्यक्ष
(ii) संकाय और विभाग के सभी प्रोफेसर
(iii) संकाय विभाग में नियुक्त एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसरों में से क्रमशः वरिष्ठता के अनुसार बारी–बारी से तीन एसोसिएट प्रोफेसर और दो सहायक प्रोफेसर।
(iv) संकाय के लिए सौंपे गए विषय या अध्ययन की किसी भी संबद्ध शाखा में उनके विशेष ज्ञान की वजह से कुलपति द्वारा नामित पांच सदस्य

(2) बोर्ड के सभी सदस्य, दो वर्ष की अवधि के लिए पद को धारित करेंगे। सदस्यों का कार्यकाल उन्हें नामित किए जाने की तारीख से शुरू होगा। किसी भी सदस्य के फिर से नामांकन के लिए विचार किया जा सकता है।

(3) बोर्ड के अधिकार और कार्य निम्नलिखित होंगे –

(i) [illegible] और अनुसंधान के कार्य का समन्वय करना;
(ii) संकाय के शिक्षण के लिए जहां भी आवश्यकता हो पाठ्यक्रम समितियों की नियुक्ति और ऐसी समितियों के काम की निगरानी करना। ऐसीं समितियों की संरचना, अधिकार, कार्यों और अन्य संबंधित मामलों को कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा,
(iii) संकाय को सौंपे गए विभिन्न कार्यक्रमों में अध्ययन के पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक परिषद से सिफारिश करना,
(iv) कुलपति से लिए आवश्यक जहां भी प्रश्नपत्र बनाने वालों, परीक्षकों और मध्यस्थों के नामों की सिफारिश करना;
(v) शिक्षण और अनुसंधान के मानकों की उन्नति के लिए योजनाओं पर विचार करना, और शैक्षणिक परिषद के लिए इस तरह के प्रस्ताव प्रस्तुत करना;
(vi) उद्योग के साथ बातचीत को बढ़ावा देना और योजनाओं पर विचार करना, तथा कुलपति / शैक्षणिक परिषद को प्रस्ताव प्रस्तुत करना
(vii) संकाय के विकास के लिए योजनाएं बनाना और तैयारी करना तथा कुलपति / शैक्षण्कि परिषद को इस तरह के प्रस्ताव पेश करना।
(viii) उतीर्ण हुए छात्रों की नियुक्ति और रोजगार पर प्रतिक्रिया रिपोर्टों पर विचार करना और जहां आवश्यक हो कुलपति / शैक्षणिक परिषद को विचार करने के लिए, उपचारात्मक उपाय सुझाना;
(ix) पेशेवर परामर्श सहित राजस्व उत्पादन के लिए प्रस्तावों, संसाधनों के बंटवारे आदि पर विचार करना और कुलपति / शैक्षणिक परिषद को इस तरह के प्रस्ताव प्रस्तुत करना,
(x) अधिनियम, विधियों या अध्यादेश द्वारा निर्धारित किया जाने वाले अन्य सभी कार्यों को करना, और प्रबंधन बोर्ड, शैक्षणिक परिषद या कुलपति द्वारा इसे भेजे जा सकने वाले इस तरह के सभी मामलों पर विचार करना;
(xi) डीन, या बोर्ड के किसी अन्य सदस्य या समिति के लिए प्रतिनिधित्व करना या, इस तरह के सामान्य या विशिष्ट शक्तियों को सौंपना, जिनका समय–समय पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

3. **बैठक**: बोर्ड की बैठक के लिए सूचना, आमतौर पर बैठक के लिए निर्धारित दिन से कम से कम 10 दिन पहले जारी की जाएगी हालांकि, एक आकस्मिक बैठक कुलपति के पूर्व अनुमोदन के साथ, एक छोटी अवधि की सूचना पर बुलाई जा सकती है।

4. **निर्दिष्ट संख्या (कोरम)**: बोर्ड की बैठक के लिए निर्दिष्ट संख्या उसके कुल सदस्यों की एक–तिहाई होगी।

5. **बैठकों के आयोजन के लिए नियम**: बोर्ड की बैठक के आयोजन की के नियम विनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

एस. एन. झा, रजिस्ट्रार

INDIRA GANDHI DELHI TECHNICAL UNIVERSITY FOR WOMEN

NOTIFICATION

Delhi, the 28th September, 2015

No. F. 16(18)/Plg./IGDTUW/2014/2662.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 31 of the Indira Gandhi Delhi Technical University for Women Act 2012 (Delhi Act No. 9 of 2012) read with Statute-15 of the Indira Gandhi Delhi Technical University for Women (First) Statutes 2012, the Board of Management, Indira Gandhi Delhi Technical University for Women, hereby makes the Ordinance of the Indira Gandhi Delhi Technical University for Women relating to Board of Studies of the University as following, namely :—

Short Title and Commencement—

(1) This ordinance may be called "the Fifth Ordinance of the Indira Gandhi Delhi Technical University for Women".

(2) The ordinance shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette of Delhi.

2. **Board of Studies:** (1) Every faculty shall have a Board of Studies (hereinafter referred to as 'Board') consisting of the following members:

(i) The Dean of the Faculty/Head of the department/Eminent Academician or Scientist – Chairman;

(ii) All the Professors in the Faculty and department.

(iii) Three Associate Professors and two Assistant Professors, by rotation according to seniority, amongst the Associate Professors and Assistant Professors appointed in the Faculty department respectively.

(iv) [illegible] assigned to the Faculty or in any allied branch of studies;

(2) All members of the Board, shall hold office for a term of two years. The term of members shall commence from such date as they are nominated. Any member can be considered for re-nomination.

(3) The powers and functions of the Board shall be –

(i) to coordinate the teaching and research work in the programmes assigned to the Faculty;

(ii) to appoint committees of courses for the Faculty's teaching, wherever required, and to supervise the work of such committees. The composition, powers, functions of such committees and other relevant matters shall be as approved by the Vice-Chancellor;

(iii) to recommend to the Academic Council, the courses and syllabi of studies in the various programmes assigned to the Faculty;

(iv) to recommend to the Vice-Chancellor, names of paper setters, examiners and moderators, wherever required;

(v) to consider schemes for the advancement of the standards of teaching and research, and to submit such proposals to the Academic Council;

(vi) to promote and consider schemes for interaction with industry, and to submit proposals to the Vice-Chancellor/Academic Council;

(vii) to prepare and formulate schemes for faculty development and to submit such proposals to the Vice-Chancellor/Academic Council;

(viii) to consider feedback reports on the placement and employability of the passed out students and to suggest remedial measures, wherever necessary, for consideration of the Vice-Chancellor/Academic Council;

(ix) to consider proposals for revenue generation including professional consultancies, resources sharing etc. and to submit such proposals to the Vice-Chancellor/Academic Council;

(x) to perform all other functions which may be prescribed by the Act, the Statutes or the Ordinances, and to consider all such matters as may be referred to it by the Board of Management, the Academic Council or the Vice-Chancellor;

(xi) to delegate to the Dean, or to any other member of the Board or to a Committee, such general or specific powers as may be decided upon by the Board from time to time.

3. **Meetings:** Notice for a meeting of the Board, shall ordinarily be issued at least 10 days before the day fixed for the meeting. However, an emergent meeting can be called at a shorter notice, with the prior approval of the Vice-Chancellor.

4. **Quorum:** The quorum for the meeting of the Board shall be one-third of its total members.

5. **Rules of conduct of the meeting:** Rules of conduct of the meeting of the Board shall be prescribed by the regulations

4131DG/15-2

S. N. JHA, Registrar

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054